प्रपत्र – 3

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर मुख्य वन संरक्षक /व.म.अ. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1.	परियोजना का नाम	:	दंतेवाड़ा जिले के दंतेवाड़ा वनमण्डल अंतर्गत मेसर्स एन.एम.डी.सी.–सी.एम.डी.सी. लिमिटेड (NCL) रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप – 04 अंतर्गत ग्राम बचेली में लौह अयस्क उत्खनन हेतु रकबा 682.272 हे. का वन व्यपवर्तन प्रस्ताव।
2.	आवेदक /आवेदक विभाग का नाम	:	मेसर्स एन.एम.डी.सी.–सी.एम.डी.सी.लिमिटेड (NCL) रायपुर (छ.ग.)
3.	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग	:	682.272 हें.
4.	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	:	**जिला** दंतेवाड़ा **वनमण्डल** दंतेवाड़ा **परियोजना स्थल** आरक्षित बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप – 04 बचेली (छ.ग.)
5.	**वन भूमि का विस्तृत विवरण** क. आरक्षित वनभूमि ख. राजस्व वन क्षेत्र ग. सीमांकित संरक्षित वन	: : : :	 **670.177 हे.** **12.095 हे.** ———
	घ. कुल योग	:	**682.272 हें.**
6.	आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	:	घनत्व 0.2 से 0.6 तक
7.	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	:	बीजा, हन्दू, साजा, सागौन एवं मिश्रित प्रजाति कुल वृक्ष संख्या = 340330 नग। (व्यपवर्तन क्षेत्र में 100x100 मीटर का सेम्पल प्लाट डालकर वृक्षों की गणना की गई है)
8.	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरूत्पादन की स्थिति	:	सामान्य

9.	आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी./वनमार्ग आदि) से दूरी जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)	:	संलग्न है।
10.	क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायोस्फेयर रिजव, प्राकृतिक झील/वाटर बाड़ी, बायोस्फेयर रिजव, प्राकृतिक झील/वाटर बाडी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदत करें।	:	हॉ। खनन क्षेत्र के माइनिंग लीज एरिया में गली नाला स्थित है जो कि प्राकृतिक रूप से बारह माह पानी रहता है। जिसमें अति महत्वपूर्ण विलुप्तप्राय प्रजाति ट्री–फर्न विद्यमान है।
11.	आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वन क्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित, गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेषकर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार /राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एंव उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे।)	:	व्यपरिवर्तित क्षेत्र लौह अयस्क उत्खनन एवं आधारभूत संरचना हेतु प्रस्तावित है। मानचित्र संलग्न है।
12.	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण देवें।	:	नहीं किया गया है।

प्रमाण पत्र

उपरोक्त जानकारी /विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है । आवेदक संस्थान द्वारा मांग की गयी वन भूमि में गली नाला स्थित है जो प्राकृतिक रूप से बारह मासी प्रवाहित होती है। उक्त नाले के दोनो ओर जैव विविधता के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण विलुप्तप्राय प्रजाति ट्री–फर्न विद्यमान है। जिसका संरक्षण किया जाना अति आवश्यक है। आवेदक संस्थान द्वारा उक्त क्षेत्र को व्यपवर्तन प्रस्ताव से अलग किया जाकर नाले के दोनो ओर कुल रकबा 76.496 हेक्टेयर छोड़ते हुये अप्रभावित होना बतलाया गया है।

भुवन जी.आई.एस. सॉफ्टवेयर के परत विश्लेषण से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि, टी–फर्न क्षेत्र से लगे हुये खनन क्षेत्र अधिक ऊंचाई पर होने के कारण खनन के दौरान अस्थिर मिट्टी प्रथम एवं द्वितीय नाले के क्रम में प्रवाहित होगी और पानी के बहाव को बाधित करेगी जिससे लगभग 129 हेक्टेयर क्षेत्र में जल जमाव की स्थिति पैदा कर सकती है। क्षेत्र में मिट्टी की गहराई 0.20–0.30 मीटर है जो क्षेत्र में उच्च क्षरण का स्पष्ट प्रमाण है। यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है कि मिट्टी नाला के तीसरे क्रम को प्रभावित करेगी और धीरे–धीरे यह जल निकासी लाइन के पहले कम के प्रवाह को बन्द कर देगी जिससे क्षेत्र में जल भराव होने के कारण ट्री–फर्न का अस्तित्व खतरे में आ सकता है। क्षेत्र की मिट्टी क्ले लोम (Clay Loam) है जो कम गहराई में है जो कि ट्री–फर्न वनस्पति के लिये बहुत अच्छी है, परन्तु क्ले लोम (Clay Loam) मिट्टी अधिक कटावग्रस्त होने से मिट्टी के कटाव उपरान्त लगभग 51 हेक्टेयर ट्री–फर्न क्षेत्र में अछिद्रता पैदा होगी जिससे पानी का जमाव होने के कारण टी–फर्न के अस्तित्व को बचाने में समस्या पैदा होगी।

व्यपवर्तन प्रस्ताव में कक्ष कमांक 1826 एवं 1827 में आधारभूत संरचनाओं के तहत कन्वेयर बेल्ट 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र में कन्वेयर हेतु प्रस्तावित भूमि के बदले पृथक से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त किया जाना उचित होगा।

इस संबंध में मेरा सुझाव यह है कि, खनन क्षेत्र के गली नाला में स्थित ट्री–फर्न को खनन कृत्य से नकारात्मक रूप से प्रभावित होने की संभावना अधिक है। अतः विद्यमान ट्री–फर्न क्षेत्र से कितनी दूरी दर खनन एवं आधारभूत संरचना हेतु स्थल प्रस्तावित किया जा सकता है का, इस संबंध में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, देहरादून (ICFRE) के विशेषज्ञों के दल से अध्ययन कराया जाकर अध्ययन उपरान्त अग्रिम कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

निरीक्षण स्थल :– दन्तेवाड़ा
दिनांक :– 30/05/2023

(डॉ. सामर जाधव)

भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
दन्तेवाड़ा वनमण्डल, दन्तेवाड़ा

Divisional Forest Officer
Dantewada Division
DANTEWADA